UGS Section
I.I.T. Roorkee
Diary No. 564
8-7-11

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी– नैनीताल।

सेवा में,

संस्था प्रमुख / संस्थाध्यक्ष
....
....

25

पत्रांक 066 / स.क. / मै.क.मी.छा.यो.(एस.एम.एस.) / 2011–12 दिनांक 21 / जून 2011.

विषयः–अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं के लिए मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना के आवेदन आन लाईन भेजे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना को वर्ष 2011–12 से आन लाईन किया जा चुका है इसलिए अब इस छात्रवृत्ति हेतु समस्त पात्र छात्र–छात्रायें अपना आवेदन आन लाईन प्रस्तुत करेंगे।

उक्त छात्रवृत्ति योजना को संचालित करने हेतु भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय द्वारा N.I.C. के सहयोग से एक आन लाईन मैनेजमेंन्ट सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके प्रथम चरण में इस राज्य के नोडल विभाग (समाज कल्याण) द्वारा ऐसे संस्थानों / कालेजों / विश्वविद्यालय की सूची भारत सरकार द्वारा तैयार सिस्टम में डाउन लोड कर दी गई है। इस वर्ष केवल उन्हीं संस्थानों / कालेजों की सूची उक्त वेबसाईड पर डाउन लोड की गई है जिनके आवेदन पत्र विगत वर्षो में निदेशालय को मैनुअली प्राप्त हो रहे थे।

दूसरे चरण में सूची में उल्लिखित संस्थानों / कालेजों से उनके ई–मेल आई0डी0 / मोबाईल सैल नम्बर प्राप्त करते हुए सिस्टम में डाउन लोड किया गया, और संस्थानों / कालेजों के लिए प्राप्त यूजर आई0डी0 / पासवर्ड प्राप्त करते हुए आप सभी को ई–मेल एवं पत्र द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। संभवतः प्रश्नगत यूजर आई0डी0 / पासवर्ड आपको भी ई–मेल अथवां मोबाईल फोन पर मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ होगा।

आपको जो यूजर आई0डी0 / पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है उसमें दिये गये विकल्प के अनुसार आप द्वारा अपना पासवर्ड बदलना नितान्त आवश्यक है। संभवतः आप द्वारा पासवर्ड बदल दिया गया होगा, तथा जो पासवर्ड आपने तैयार किया है उसे आप द्वारा सुरक्षित रखना भी आवश्यक है क्यों कि छात्रों द्वारा अपना आवेदन आन लाईन डाउन लोड करने के बाद संस्थान से सम्बन्धित दी जाने वाली सूचनायें / प्रविष्टियॉ जैसे संस्थान का बैक ख़ाता <u>विवरण / कोर्स</u> फीस आदि डाउन लोड हो सकें और इसके पश्चात छात्र / छात्रायें के आवेदन इस मैनेजमेन्ट सिस्टम में अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार की वैब साईड पर समस्त आवश्यक औपचारिक्ताओं सहित उपलब्ध हो सकें।

भारत सरकार द्वारा निरन्तर इस योजना का अनुश्रवण किया जा रहा है तथा दिनांक 14/06/2011 को N.I.C. के अधिकारियों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ प्रश्नगत विषय पर विडियो कान्फ्रेंन्स द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि वैब साईट पर उत्तराखण्ड राज्य के जिन संस्थानों/कालेजों को डाउन लोड किया गया है उनके छात्र/छात्राओं द्वारा अभी अपने आवेदन पत्र डाउन लोड नही किये है वे अतिशीघ्र अपने आवेदन सूचित वेब साईड पर डाउन लोड कर दे ताकि उसे भारत सरकार की वैब साईट पर देखा जा सके और भारत सरकार द्वारा ऐसे कालेजों/संस्थानों के लिए छात्रवृत्ति उनके बैंक खातो के द्वारा अवमुक्त की जा सकें। इस संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि नये (Fresh) छात्रों के लिए आन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 10.09.2011 की मध्य रात्रि तक तथा रिनेवल (Renewal) छात्रवृत्ति हेतु आन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 30.12.2011 मध्यरात्रि तक निर्धारित की गई है।

आशा है आप इस संदर्भ में अपने कालेज/संस्थान के पात्र छात्र--छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से अथवा नोटिस बोर्ड के माध्यम से आन लाईन आवेदन करने हेतु सूचित करते हुए कृत कार्यवाही से इस निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे तथा इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए Govt. of India के अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय की वैब साईट www. momascholarship.gov.in or www.minorityaffairs.gov.in पर लॉग आन करें तथा प्रश्नगत योजना में मंत्रालय द्वारा समय पर जारी निर्देशों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर उक्त संदर्भित वेब साईड के सम्पर्क में रहने का कष्ट करें।

संलग्नः संस्थानों की सूची जो वेव साईड पर डाउनलोड किये गये है।

भवदीय,

(आर0पी0 पन्त,) 21.6.11
प्र. अपर निदेशक,
कते निदेशक।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूडकी
रूडकी

सं शैक्षणिक/561 /छात्रव्रत्ति

दिनॉक : अगस्त २५,2011

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूडकी में अध्ययनरत अल्प संख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं से अनुरोध है कि यदि वह उपरोक्त सुविधा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया अपने अपने आन लाईन आवेदन दी गयी निश्चित अवधि से पूर्व भेजना सूनिश्चित करें ।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

नोटिस बोर्ड - सभी छात्रावास